

कार्यालय नगर नियोजक (भवन)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

पत्रांक-डी/32/993/न0नि0(भवन)का0वि0प्रा0/2019-20

दिनांक:-20-08-2020

कानपुर विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मेसर्स एलिडको टाउनशिप्स एण्ड हाउसिंग लि0 द्वारा निदेशक श्री श्रीकान्त जजोदिया द्वारा डा0 अर्चना त्रिपाठी (बिजनेस डेवलपमेन्ट) उपाध्यक्ष, द्वारा वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित जवाहरपुरम् योजना के सेक्टर 09 (पुराना सेक्टर-14) ग्राम बारासिरोही, कानपुर नगर पर विकसित योजना के सम्बन्ध में पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट संख्या-3 प्रपत्र 'द' (भाग-'अ'), पंजीकृत वास्तुविद् श्रीमती ज्योति सिंघल फार्मरली नोन एज मिस ज्योति गर्ग रजिस्टर्ड नं0 सी0ए0/93/16250 का प्रमाण पत्र (भाग-'ब') पर व रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र (भाग-'स') का परीक्षण श्री राम आशीष शर्मा एवं श्री राम कुमार सिंह, अवर अभियंता कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रस्तावित विन्यास मानचित्र परमिट संख्या-डी/86/225/23/एल/06-07 दिनांक-27.06.2008 एवं पुनः स्वीकृत संशोधित प्रस्तावित विन्यास मानचित्र परमिट संख्या-192/1/एल/14-15 दिनांक-21.11.2015 के अनुसार स्थल पर सम्पूर्ण विकास/निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा एवं पूर्व स्वीकृत व्यवसायिक भवन मानचित्र परमिट संख्या-284/993/भव/2014-15 दिनांक-11.03.2016 में अंकित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा।

अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति दिनांक-17.03.2020 के अनुपालन में निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रतिबन्ध/शर्तें-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति आख्याओं में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना होगा।
2. नगर निगम में हस्तान्तरण किये जाने तक सन्दर्भित योजना/कालोनी का रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा स्वयं करना होगा।
3. स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
4. रेस अधिनियम का अनुपालन कराना होगा। पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग प्रयोजन हेतु ही अनुमन्य होगा।
5. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद होने अथवा भविष्य में उत्पन्न होने का समस्त दायित्व पक्ष/विकासकर्ता का होगा।
6. नगर निगम में हस्तान्तरण किये जाने तक सन्दर्भित योजना/कालोनी का रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा स्वयं करना होगा।
7. पूर्व स्वीकृत प्रस्तावित विन्यास मानचित्र परमिट संख्या-डी/86/225/ 23/एल/06-07 दिनांक- 27.06.2008 एवं पुनः स्वीकृत संशोधित प्रस्तावित विन्यास मानचित्र परमिट संख्या-192/1/एल/14-15 दिनांक-21.11.2015 के अनुसार स्थल पर सम्पूर्ण विकास/निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। पूर्व स्वीकृत व्यवसायिक भवन मानचित्र परमिट संख्या-284/993/भव/2014-15 दिनांक-11.03.2016 में अंकित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. भविष्य में का0वि0प्रा0 या अन्य किसी भी विभाग की किसी भी प्रकार की वित्तीय देयता निकलने पर पक्ष/विकासकर्ता को समयान्तर्गत भुगतान करना होगा।
9. समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन करना होगा।
10. पूर्व स्वीकृत संशोधित तलपट मानचित्र के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत व्यवसायिक भवन मानचित्र में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने की दशा में निर्गत व्यवसायिक भवन मानचित्र का पूर्णता प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

हस्ताक्षर

पदनाम ज्योति प्रसाद

कार्यालय की मुहसगर नियोजक

दिनांक 20/08/2020

कानपुर